35

न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)
दायर दिनांक–28.01.22

राजस्व वाद संख्या 10/2022
पुराना वाद संख्या : 19/2005

भंवर सिंह पुत्र नारायण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

वादी

बनाम

1. बजरंग सिंह पुत्र नारायण सिंह दत्तक पुत्र खेताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रति. :– श्री विधाधर सिंह/श्री रामाकांत गौड़

दावा : स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधि.
निर्णय

दिनांक : 02.08.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम झाझड़ की सरहद में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 6.93 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 7.38 हैक्टर अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियां वादी की स्वअर्जित कृषि भूमियां है। प्रतिवादी नम्बर 1 वादी का सगा भाई था जो बाद में खेताराम के गोद चला गया तथा खेताराम की खातेदारी की कृषि भूमियों का विरासतन खाता प्रतिवादी नम्बर 01 ने अपने नाम कराकर प्रतिवादी नम्बर 01 उन कृषि भूमियों पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी नम्बर 01 खेताराम की अन्य चल व अचल सम्पतियों पर काबिज है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 01 खेताराम का वारिस है। प्रतिवादी नम्बर 01 वादी से रंजिश रखता है तथा वादी को तंग व परेशान कर वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमियों को हड़पने की नियत रखता है ताकि वादी जो सज्जन पुरूष है प्रतिवादी नम्बर 01 की नाजायज हरकतों से तंग आकर अपनी कृषि भूमियों को कम कीमत पर प्रतिवादी नम्बर 01 को विक्रय कर देवे। दावे की प्रश्नगत कृषि भूमियों पर वादी काबिज काश्त है इस वर्ष जो गेहूं व सरसों की फसल काश्त की हुई है जो पक कर तैयार है। दिनांक 30.03.2005 को जब वादी अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त कृषि भूमियों पर अपनी खड़ी फसल को संभालने गया तो प्रतिवादी नम्बर 01 मय परिवार रास्ते मे वादी के आड़े फिर गया और एलानिया धमकी [illegible] फसल काटने आवोगे तो फसल काटने नही देगें व खड़ी फसल को बर्बाद कर देंगे [illegible] 01 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वादकारण दिनांक 30.05.2005 को [illegible] खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमियों में खड़ी फसल को संभालने गया तो वादी की खातेदार कृषि भूमियों [illegible] [illegible] के बल पर कब्जे काश्त में मजहमत पैदा करने की कुचेष्टा की।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 को मय परिवार मित्रगण नोकर एजेण्ट प्रतिनिधि को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

क वाद में प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 92, 93, 94 ग्राम झाझड़ मे वादी के कब्जे काश्त मे किसी
श्री प्र की दखलन्दाजी करने व पशु आदि छोड़ कर फसल बर्बाद करने व खुर्द–बुर्द करने बाज रहे।

वाद प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण
जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने के कारण इनके
विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री विद्याधर सिंह
जाखड़ का वकालतनामा पेश हुआ तथा जवाब दावा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि उक्त भूमि पैतृक है
पहले हमेशा से ही शामलाती पैतृक होने के कारण काश्त की जाती थी उक्त भूमि नारायण सिंह की थी,
और नारायण सिंह के दोनो पुत्र भंवर सिह वादी व बजरंग सिह प्रतिवादी की आधी रही है। इसी प्रकार
गिरदावरियां है। उक्त भूमि नारायण सिंह के पानेदारी में थी और उसके कब्जे काश्त में रही है। उसके बाद
उसके दोनो पुत्रों के कब्जे काश्त में रही ओर इसी भूमि पर दोनो का आधा आधा हक हिस्सा व कब्जा है।
उतरदाता उक्त भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर आबाद है। चाह बना रखा है जिस पर नारायण सिंह
उतरदाता व वादी के पिता के नाम से विधुत संबंध है और दोनो ही अपने अपने हिस्से की भूमि को इसी
चाह से सिचिंत और काश्त करते है। उतरदाता कभी भी खेता के गोद नही गया खेता वादी व उतरदाता
के पिता का दरोगा थे और पुरे परिवार की सेवा करता था। इस प्रकार उतरदाता के दरोगा के गोद जाने
का प्रश्न ही पैदा नही होता। जबकि खसरा नम्बर 1247 रकबा 3 बिश्वा व खसरा नम्बर 1248 रकबा 13
बीघा 15 बिश्वा कुल 13 बीघा 18 बिश्वा खेताराम पुत्र तेजाराम दरोगा को वादी व उतरदाता के पिता ने
उसकी सेवा से खुश होकर काश्त के लिये बताई थी, और जिस पर उसे खातेदारी अधिकार दे दिये थे,
उसके कोई पुत्र संतान नही था, और उतरदाता के पास रहता था, दिनांक 17.02.68 को दो रूपये के
स्टाम्प पर रामावतार मिश्रा की बकलम से लिख कर उक्त भूमि खेताराम ने उतरदाता को दी थी, वह
उतरदाता के पास ही रहता था तथा उसी ने उसका दाह संस्कार किया था। लिखावट के कारण खेता
दरोगा की भूमि उतरदाता को प्राप्त हुई है। उतरदाता को उसके आधार पर इन्तकाल भरा है। खेताराम की
भूमि उतरदाता को उसके द्वारा उतरदाता के पक्ष में हक त्यागने के कारण प्राप्त हुई है ना कि दतक पुत्र
के कारण विवादित भूमि पैतृक है जिसके 1/2 हिस्से पर उतरदाता का कब्जा काश्त कदीम से रहा है
सम्वत् 2019 से 2022 तक की गिरदावरी में 1/2 हिस्से पर उतरदाता का कब्जा काश्त दर्ज है। सम्वत्
2031 से 2034 की गिरदावरी में भी उतरदाता के पुत्र प्रहलादसिंह का कब्जा काश्त दर्ज है। उतरदाता ने
इसी विवादित भूमि में चाह बनाकर विधुत संबंध लगा रखा है जो उतरदाता के पिता के नाम से है। इस
चाह से उतरदाता अपने 1/2 हिस्से की सिंचाई करके फसल काश्त करता है तथा चार पुख्ता मकान व
कच्चे मकान बनाकर आबाद है। नारायण सिह के वादी व प्रतिवादी उतरदाता अधिकारी है। ग्राम पंचायत
का प्रमाण पत्र शामलाती परिवार का राशनकार्ड पेश है। इस प्रकार उतरदाता बतौर मालिक 1/2 हिस्से
पर सैटल कब्जा है खातेदार है कब्जे धारी के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इस प्रकार
वादी का वाद खारीज होने लायक है। 1/2 हिस्से की भूमि पर फसल उतरदाता की है पूर्वी 1/2 हिस्सा
उतरदाता व पश्चिमी 1/2 हिस्सा वादी काश्त करता है। अलग–अलग सीमा है। पूर्वी अपने हिस्से की
तरफ उतरदाता के पुख्ता मकान व आबादी है। इस प्रकार भूमि पुराने खसरा नम्बर 607 उतरदाता व वादी
के पिता नारायण सिंह के पानेदारी की थी ओर पैतृक भूमि है और उनके कब्जे काश्त में थी वादी बड़ा पुत्र
होने के कारण उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज करवादी जिसकी खतौनी इस भूमि के नये खसरा नम्बर 92,
93, 94 पड़ गये। बड़ा होने के कारण उनके नाम उक्त गलत [illegible] गयी इस कारण वादी ने उक्त
झूंठा वाद पेश किया है जबकि सम्वत् 2019 [illegible] 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त
उतरदाता का है। उतरदाता ने अपने 1/2 हिस्से [illegible] कच्चे मकान बनाकर
आबाद व काबिज है। वादी व प्रतिवादी ने शामलाती चाह बनाकर अपने पिता के नाम से विधुत संबंध भी
लगा रखा है और आधी भूमि जो अपने अपने हिस्से की है, को काश्त करते है। इस प्रकार उतरदाता का
1/2 पूर्वी हिस्से पर सैटल पुराना कब्जा काश्त है जो 12 साल से भी जयादा समय से है। इस प्रकार
वादी का वाद खारिज होने लायक हैं।

ए. सी. ई. एम. (का. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

जवाब दावा पेश होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. तनकी नम्बर 1 :– आया ग्राम झाझड की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 92/0.01, 93/0.44, 94/6.93 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 7.38 हैक्टर भूमि वादी की स्वअर्जित कृषि भूमियां है।

भा.स.वादी

2. तनकी नम्बर 2 :– आया प्रतिवादी नम्बर 01 वादी का सगा भाई था जो बाद में खेताराम के गोद चला गया तथा खेताराम की खातेदारी कृषि भूमियों का खातेदार है।

भा.स.वादी

3. तनकी नम्बर 03 :– आया वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

4. तनकी नम्बर 04 :– आया प्रतिवादी वाद–पत्र की धारा में वर्णित भूमि शामलाती पैतृक है जिस पर 1/2 हिस्से पर काबिज व आबाद व काश्त करते है तथा पूर्वी हिस्से पर कब्जा काश्त है।

भा.स.वादी

5. तनकी नम्बर 05 :– आया वादी ने वादकारण पर वाद प्रस्तुत न कर काल्पनिक वाद कारण पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी

प्रस्तुत वादी दिनांक 12.10.2017 को न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया गया जिसकी अपील वादी द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर में अपील प्रस्तुत की गई, जिसका निर्णय दिनांक 08.09.2021 को पारित किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2017 को पारित निर्णय को अपास्त कर पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विधि अनुसार तनकीवार विवेचन कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

भा.स.प्रतिवादी

निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

यहां तनकी नम्बर 01 व 04 दोनो तनकीया एक दुसरे से सम्बन्धित है इसलिए दोनो तनकियों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है –

1. **तनकी नम्बर 01 व 04** :– तनकी नम्बर 01 को साबित करने का भार वादी पर है। तथा तनकी नम्बर 04 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। इस संबंध में प्रस्तुत खतौनी बन्दोबश्त मौजा झाझड़ सम्वत् 2012 से 2031 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 607 रकबा 29 बीघा के मातमीदार व हिस्सेदार के कॉलम में नारायण सिंह वल्द जैतसिंह कौम राजपूत साकिन देह पानेदार मय वल्दियत व सकूनत के खाने में भंवर सिंह वल्द नारायण सिंह कौम राजपूत साकिन देह मु0 कदीम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 के अनुसार खसरा नम्बर 92, 93, 94 रकबा क्रमशः 0.01, 0.44, 6.93 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 7.38 हैक्टर की खातेदारी भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह पौत्र जैतसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं नकल मिलान क्षैत्रफल खसरा नम्बर 607 मी. से नया खसरा नम्बर 92 रकबा 0.01 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.44 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 607मी. व 605मी. से नया खसरा नम्बर 94 रकबा 6.93 हैक्टर बनना प्रमाणित है। इस संबंध में प्रस्तुत विद्युत विभाग द्वारा जारी बिल चाह का फ्लेट रेट का खाता धारक नारायण सिंह जैतसिंह निवासी भैरूबास के नाम से [illegible] है तथा सरपंच ग्राम पंचायत झाझड़ द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति [illegible] स्व0 नारायण सिंह के भंवर सिंह व बजरंग सिंह दो उत्तराधिकारी [illegible] में प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड का भी अवलोकन किया गया जिसमें मुखिया का [illegible] नारायण सिंह पुत्र जयसिंह तथा परिवार सदस्यों में नारायण सिंह व बजरंग सिंह दोनो का [illegible] का अंकन किया गया है। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम झाझड़ सम्वत् 2019 से 2022 में 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त प्रतिवादी बजरंग सिंह का होना अंकित किया गया है। इसी प्रकार गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2034 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (न्या. द्वे.)
नवलगढ

खुदकाश्त प्रहलादसिह पुत्र बजरंग सिह मांगूसिंह पुत्र भंवर सिंह साकिन देह खातेदार अंकित है। प्रतिवादी ने खतौनी बंदोबस्त मौजा झाझड़ सम्वत् 2013 से 2031 को प्रदर्श–डी8 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। प्रदर्श–डी8 के अवलोकन से खाना संख्या 03 खातेदार का कॉलम नही है बल्कि मातमीदार व हिस्सेदार का कॉलम है जबकि खाना संख्या 04 खातेदारी का कॉलम है जिसमें खातेदारी भंवरसिंह वल्द नारायण सिंह राजपूत के नाम से दर्ज है। प्रदर्श–डी8 प्रथम भू–अभिलेख है, जो सम्वत् 2012 का दस्तावेज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार सम्वत् 2012 में जिस व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह उसका खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि जो विवादित भूमि प्रतिवादी की पैतृक सम्पति हो तथा प्रतिवादी के पिता नारायण सिंह की खातेदारी में दर्ज हो। प्रदर्श–डी8 का खाना संख्या 03 खातेदारी का नही है, जो नारायण सिंह को खातेदार होना प्रदर्शित करे। उक्त दस्तावेज वादी की सर्वप्रथम खातेदारी में होना साबित करता है, जो वादी की स्वअर्जित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रमाणित करता है। जहां तक खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का नाम अंकित होने व उसके पुत्र प्रहलाद सिह का नाम दर्ज होने का प्रश्न है खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट्स का दस्तावेज नही है। इसलिए खसरा गिरदावरी के आधार पर प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार भी नही माना जा सकता ना ही पंचायत को उतराधिकार प्रमाण पत्र देने का अधिकार है। यहां यह भी उल्लेख किया जा रहा है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादी के नाम से दर्ज है जो वादी की खातेदारी को प्रमाणित करता है। प्रतिवादी विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा स्वयं का होना क्लेम कर रहा है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज नही है ना ही प्रतिवादी की ओर से विवादित भूमि में 1/2 हिस्से के लिए पृथक से प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। बिना खातेदारी अधिकार क्लेम किये अथवा घोषणा की डिमाण्ड किये विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी का होना नही माना जा सकता है ना ही राजस्व अभिलेख के अभाव में मात्र गिरदावरी के आधार पर खातेदारी काश्तकार की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा माना जा सकता है। गिरदावरी स्वामित्व का दस्तावेज नही है क्योंकि काश्त किराये पर अथवा बंटाई पर करवाई जा सकती है। गिरदावरी से स्वामित्व नही प्राप्त होता है। उपरोक्त विवेचन व आलोक से तनकी नबर 01 वादी के पक्ष में तथा तनकी नम्बर 04 प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

2. **तनकी नम्बर 02** :– उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वार वाद में कथन किया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 खेताराम के गोद चला गया था तथा खेताराम की कृषि भूमियों का विरासतन खाता प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गया। उक्त कथन की ताईद में वादी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 213 प्रदर्श–1 प्रस्तुत किया। मेरे द्वारा नमान्तरकरण संख्या 213 निर्णय दिनांक 14.02.1969 जो खेता के फौत होने पर खोला गया है का गहनता से अवलोकन किया। उक्त नामान्तरकरण के विशेष कॉलम में अंकित किया गया है कि खेता फौत हो गया है इनके वारिस बजरंग सिंह है यह बजरंग सिंह पुत्र नारायण सिंह के शामिल रहता था व इन्ही का दरोगा था, इसका खर्च इन्ही ने किया था। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तरकरण के निर्णय में लिखा है कि नामान्तरकरण पंचायत की बैठक में पेश हुआ। खेता फौत होने पर उनके वारिस के नाम नामान्तरकरण श्री बजरंग सिह पुत्र नारायण के नाम मंजूर किया जाता है। श्री बजरंग सिंह का खेताराम दरोगा था तथा इन्ही के पास रहता था। अतः [illegible] से यह कहीं पर भी प्रमाणित नही होता कि बजरंगसिंह खे[illegible] ली में उपलब्ध लिखावट भी दिनांक 17.02.68 में खेता द्वारा नारायण [illegible] नहीं किया है। तथा खेताराम की भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम से [illegible] किया गया है। खेताराम की भूमि प्रतिवादी के नाम से दर्ज है जो प्रतिवादी का खेताराम की [illegible] भूमि का खातेदार होना प्रमाणित करती है। उक्त तनकी प्रतिवादी के खेताराम के गोद जाने की हद तक वादी के विरूद्ध तथा

ए.सी.ई.एम. (का.टै.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

खेताराम की खातेदारी की कृषि भूमियों का प्रतिवादी को खातेदार होने की हद तक वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

3. **तनकी नम्बर 03 :–** उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। चूंकि विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वादी के नाम से दर्ज है जो कि रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादी के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड नही है ना ही प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा के आधार पर खातेदारी क्लेम की गई है। वादी रिकार्डेड खातेदार है इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। तनकी नम्बर 01 वादी के पक्ष में तथा तनकी नम्बर 04 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

4. **तनकी नम्बर 05 :–** उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वाद–पत्र की मद संख्या 06 में प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 30.03.2005 को वाद कारण पैदा होने का कथन स्पष्ट रूप से अंकित किया है। वाद–पत्र के समग्र पठन से भी वादी को उक्त वाद के लिए वाद कारण पैदा होना प्रमाणित है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

:: आदेश ::

उपरोक्त तनकीवार विवेचन, दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद पूर्णतया साबित पाये जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी नम्बर 01 को मय परिवार, मित्रगण, नौकर–चाकर, एजेन्ट प्रतिनिधि को विवादित भूमि वाके ग्राम झाझड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 92, 93, 94 रकबा क्रमशः 0.01, 0.44, 6.93 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 7.38 हैक्टर भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने व पशु आदि छोडकर फसल बर्बाद करने एवं भूमि एवं फसल को खुर्द–बुर्द नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुना गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) मुकाम बईजलास नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

पर्चा डिक्री

मुकदमा सं0:– 10/2022 **(भंवर सिंह – बनाम – बजरंग सिंह वगैरह)**
पुराना मु0नं0 19/2005

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर (आर. ए. एस.)**,सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **02.08.2022** निर्णय अनुसार उपरोक्त वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी नम्बर 01 को मय परिवार, मित्रगण, नौकर–चाकर, एजेन्ट प्रतिनिधि को विवादित भूमि वाके ग्राम वाके ग्राम झाझड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 92, 93, 94 रकबा क्रमशः 0.01, 0.44, 6.93 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 7.38 हैक्टर भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने व पशु आदि छोडकर फसल बर्बाद करने एवं भूमि एवं फसल को खुर्द–बुर्द नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.08.2022. को जारी की गई।

दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested